


21.08.25

पत्रावली वैश दुई । वकील वादी या वादी स्पंय
उपस्थित नहीं । बार-बार आवाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए । अतः वादी का यह वादपत्र
अदम वैश्वी - अदम हाजिरी में असी स्तर पर
खाजि किया जाता है। फावली बाद तरतीब
तकमील होकर दाकिल दफतर है ।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय
में सुनाया गया ।


(सुनीलकुमार चौधन)
RAS